

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/1414

दिनांक : 28-02-14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार गांधी वोकेशनल महाविद्यालय, कुशमौदा, ए.बी. रोड, गुना को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.पी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय द्वारा 28(17) के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति आवश्यक रूप से दो माह में बी.पी.एड. पाठ्यक्रम के लिये करायी जावे।
2. महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम के लिये 50 हजार रुपये की पुस्तकें क्रय की जावे।
3. महाविद्यालय द्वारा एक लाख रुपये की खेल सामग्री का क्रय किया जावे।
4. महाविद्यालय द्वारा 27 एवं 28 का नियमानुसार पालन किया जावे।

नोट : उपरोक्त शर्तों के पूर्ण किये जाने पर ही छात्रों को अगले सत्र 2013-14 में प्रवेश दिया जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, गांधी वोकेशनल महाविद्यालय, कुशमौदा, ए.बी. रोड, गुना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)